UPMZ010078342023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट
कोर्ट संख्या 2 मुजफ्फरनगर

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3522/2023

जे0ओ0 कोड– UP 1724

1. श्रीमती रीना पत्नी बिजेन्द्र,
निवासी ग्राम पुट्ठा थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0अ0सं0–1009/2016
धारा–376डी,328,354(सी),
323,504,506,120बी भा0दं0सं0
थाना–खतौली
जिला–मुजफ्फरनगर।

दिनांक–09.08.2023

1. अभियुक्ता/आवेदिका श्रीमती रीना पत्नी बिजेन्द्र की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या–1009 सन 2016 धारा–376डी, 328, 354(सी), 323, 504, 506, 120बी भारतीय दंड संहिता थाना–खतौली जनपद मुजफ्फरनगर के मामले में अग्रिम जमानत के लिये प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार पीडिता लगभग 4 वर्ष पूर्व अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में ग्राम खेडी फिरोजाबाद गई थी। वही पर पीडिता की मुलाकात अनुज सागर पुत्र जयप्रकाश से हुई। अनुज सागर ने पीडिता के साथ मीठी बाते करके अपने मोह जाल में फंसाया धीरे–धीरे अनुज सागर ने पीडिता से घनिष्टता बढाई। लगभग एक वर्ष पूर्व अनुज सागर प्रार्थीया को पीडिता के घर से अपने साथ खतौली ले गया। वहां जाकर खतौली में अनुज सागर ने पीडिता से कहा कि मेरी बहन

Digitally signed by ANJANI KUMAR SINGH
Date: 2023.08.09 15:39:27 IST
Reason: Bail Rejected
Location: District and Sessions Court

गांव पुटठा में है और मुझे उससे एक जरूरी काम है। आप मेरे साथ पुटठा तक चलो अनुज सागर पीडिता को अपने मोहजाल में फांसकर गांव पुटठा थाना खतौली ले गया, पीडिता को पूर्व योजना व साजिश के तहत उपरोक्त समस्त अभियुक्तगण ने नशीला खाना खिलाया खाना खाकर पीडिता कुछ बेहोश हो गई। अनुज सागर ने अपने उपरोक्त परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों के साथ मिलकर मेरे साथ गाली गलौच करते हुये के सदस्यों व रिश्तेदारों के साथ मिलकर गाली गलौच व मारपीट करते हुए पीडिता को कमरे में बंद एवं नग्न करके बंधक बनाकर बलात्कार किया। पीडिता को होश आने पर अनुज सागर से व उसके परिवार के सदस्यों के सामने ऐसा करने की बाबत पूछा तो अनुज सागर ने कहा कि मैने तुम्हारी वीडियो क्लीपिंग बना ली है यदि तुमने इसका घर जाकर जिक्र किया तो मै इस वीडियों क्लीपिंग को इंटरनेट पर डाल कर तुम्हे बदनाम कर दूंगा। सभी ने गाली गलौच मारपीट की। कोई तुमसे शादी भी नही करेगा और मजबूरन तुम्हे अपनी आत्महत्या करनी पडेगी। पीडिता के साथ इसके बाद भी वीडियो क्लीपिंग इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर तथा भाईयो को जान से मारने की धमकी देकर अनुज सागर ने पीडिता के साथ कई बार गाली गलौच करते हुये बलात्कार किया। पीडिता ने अपने परिजनों को अनुज सागर व उसके परिजनों की हरकते बताई।

3. अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए कहा गया है कि प्रार्थीया/याची का यह माननीय न्यायालय में प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो प्रस्तुत किया गया है न ही खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है। उपरोक्त अपराध संख्या में प्रार्थीया/याची को कतई गलत व झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीया/याची पूर्णतया निर्दोष व बेगुनाह है। जो तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाये गये है वह कतई गलत, काल्पनिक, झूठे व बनावटी है तथा मामले को रंगत देने की नियत से तैयार किये गये है। प्रार्थीया/याची एक शांतिप्रिय, अमन पसन्द, इज्जतदार व सामाजिक व्यक्ति है। उक्त मु0अ0सं0 में थाना खतौली पुलिस प्रार्थीयाध्याची को कर जेल भेजकर बेईज्जत करना चाहती है। प्रार्थीया/याची कथित अपराध से कतई अनभिज्ञ है, प्रार्थीया/याची को दुर्भावना के कारण उक्त अपराध में कतई झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीया/याची ने कोई अपराध नही किया है और न कथित अपराध कारित करने का प्रार्थीया/याची का कोई आशय था। प्रार्थीया/याची का कोई मतलब वास्ता उपरोक्त मामले की कहानी में उल्लेखित आरोपो से नही है मुकदमा वादी द्वारा उक्त मुकदमा कतई गलत एवं झूठे बेबुनियाद तथ्य दर्शाकर मुकदमा उपरोक्त को रंगत देने की गरज से लिखाया गया है। असल तथ्य यह है कि प्रार्थीया/याची के भाई अनुज सागर व मुकदमा वादिया आपस में रिश्तेदार थे व अनुज सागर से मुकदमा वादिया एकतरफा प्रेम करती थी जबकि अनुज सागर रिश्तेदारी का हवाला देकर मना कर रहा था। प्रार्थीया/याची व उसके पति बिजेन्द्र ने अनुज सागर का रिश्ता अन्य

जगह से करा दिया था इस कारण मुकदमा वादिया प्रार्थीया/याची व उसके पति बिजेन्द्र से रंजिश रखने लगे थे और उसने इस आशय की (झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी भी दी थी। इससे पहले कि प्रार्थीया/याची व उसका पति बिजेन्द्र कुछ समझ पाते तब तक मुकदमा वादिया अपनी धमकी के अनुरूप कार्य कर चुकी थी और उसी का परिणाम यह मुकदमा है। मुकदमा वादिया ने प्रार्थीया/याची को निर्दोष होते भी उक्त मुकदमें में झूठा फंसा दिया है जबकि प्रार्थीया/याची का उक्त मामले से कोई लेना देना नही है और वह कतई अनभिज्ञ है। प्रार्थीया/याची ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका के चलते माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक क्रि०मि० रिट पैटीशन सं० 24893 सन् 2016 श्रीमती रीना बनाम स्टेट ऑफ यूपी व दो अन्य दायर की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 08.12.2016 के अनुसार प्रा. र्थीया/याची की गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक स्थगन आदेश प्रदान किया था। आदेश की फोटोप्रति संलग्न शपथ पत्र का एनेक्चर सं0–1 है तत्पश्चात आरोप पत्र प्रस्तुत होने पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 दं.प्र.सं० 20608/2017 रीना बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य में अपने आदेश दिनांक 10.07.2017 के अनुसार बाद सं0 2732 सन् 2019 सरकार बनाम रीना मु0अ0सं0 1009 सन् 2016 की कार्यवाही अग्रिम आदेशो तक स्थगित दी थी आदेश की फोटोप्रति संलग्न शपथ पत्र का एनेक्चर सं0 2 है जिसे पुनः अपने आदेश दिनांक 08.04.2022 के अनुसार विस्तारित कर दिया गया था, की फोटोप्रति एनेक्चर सं0 3 है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थीया/याची की इस अपराध संख्या में दर्शित नहीं की गयी है। उपरोक्त अपराध संख्या के अलावा याची अन्य किसी केस में वांछित नहीं है पूर्व सजायाफता नही है ना ही हिस्ट्रीशीटर है। उपरोक्त अपराध संख्या में कोई स्वतंत्र साक्षी किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थी/याची माननीय न्यायालय या पुलिस द्वारा दी गयी प्रत्येक शर्त को मानने के लिये तैयार है। प्रार्थी/याची अमन पसन्द, निर्दोष व्यक्ति और भारत के नागरिक है। मुकदमा वादिया ने माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उपरोक्त मुकदमा दर्ज कराया है। जिस कारण माननीय सत्र न्यायालय को इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को सुनने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीया/याची अपना उपरोक्त स्थाई पता नही बदलेगी। प्रार्थी/याची को पूर्ण विश्वास अन्देशा है कि प्रार्थीयाध याची को पुलिस थाना खतौली अजमानतीय अपराध में लिप्त कर बेईज्जत करना चाहती है। प्रार्थीया/ याची को पुलिस अधिकारी/माननीय न्यायालय द्वारा पूछताछ/ विचारण के लिये जब भी बुलाया जायेगा प्रार्थीया/याची स्वयं उपस्थित होगी तथा अपने क्षेत्र को नही छोड़ेगी। प्रार्थीया/याची को पूर्ववत् जिसमें यह तथ्य भी संलग्न है कि वह किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुकी हो, नही है न ही कोई पूर्व अपराधिक इतिहास है और न ही दोषसिद्ध की गयी है। प्रार्थीया/याची की छवि बहुत अच्छी है यही कारण है कि वह अच्छे परिवार के अन्तर्गत आती है उसके छोटे–छोटे बच्चे है उसके खिलाफ कोई भी अपराधिक मामला लम्बित नही है न ही किसी मामले में याची जेल गयी है। प्रार्थीया/याची स्थाई निवासी है उसके न्याय के रास्ते से फरार होने की कोई

सम्भावना नही है। प्रार्थीया/याची अग्रिम जमानत पर रिहा होने के पश्चात वाद के सभी तथ्यों का खुलासा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माननीय न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को इस तरह के तथ्यों को खुलासा करने से परहेज करने के मामलो तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति के लिये किसी भी प्रलोभन, धमकी या वायदा नहीं करेगी। प्रार्थीया/याची आगे सबूत या गवाहो के साथ छेडछाड नही करेंगी।

4. अभियुक्ता/आवेदिका का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र होने के संबंध में उसकी ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा इस तथ्य का विरोध नहीं किया गया है।

5. अभियुक्ता/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. वहीं दूसरी ओर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्ता प्राथमिकी में नामित है। अभियुक्ता/आवेदिका के विरूद्व गंभीर प्रकृति का अपराध है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की गयी।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अभियुक्ता/आवेदिका की भूमिका पीडिता को नशीला खाना खिलाने में बतायी गयी है, जिसके उपरांत अभियुक्ता/आवेदिका रीना एवं अन्य सहअभियुक्त के सहयोग से अनुज द्वारा पीडिता के साथ बलात्संग किया गया व वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालने की धमकी दी गयी। अभियुक्ता/आवेदिका प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। उसके विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है।

8. समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदिका /अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता/आवेदिका श्रीमती रीना पत्नी बिजेन्द्र की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(अंजनी कुमार सिंह)
अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट
कोर्ट सं–2 मुजफ्फरनगर